राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1743/2017/उदयपुर

मैसर्स युनाईटेड स्पिरिट्स लिमिटेड,
उदयसागर रोड़ मांदडी
औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर ....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन राजस्थान,
वृत तृतीय, जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री ओमकार सिंह, आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकिशोर खदाव,
उप–राजकीय अभिभाषक ....राजस्व की ओर से

दिनांक : 02.11.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन, जयपुर (जिसे आगे **"उपायुक्त प्रशासन"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 34 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन राजस्थान, वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 13.07.2017 को रि–ओपन करने बाबत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है।

2. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का कथन है कि वर्ष 2011–12 के कर निर्धारण के संबंध में अपीलीय आदेश दिनांक 23.03.2015 की पालना में प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का कर निर्धारण दिनांक 13.07.2017 को सम्पूरित किया गया। जिसके संबंध में यद्यपि उनके द्वारा एक अन्तरिम लिखित प्रत्युत्तर दिनांक 24.01.2017 को अवश्य पेश किया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उसे ही अन्तिम प्रत्युत्तर मानते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया जबकि अन्तरिम प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया गया था कि प्रश्नगत संव्यवहारों की जांच मिलिट्री कैन्टीन (CSD) के स्तर से भी करा ली जाये। उनका यह भी कथन है कि उपायुक्त प्रशासन ने अपीलार्थी द्वारा धारा 34 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को संधारणीय ही नहीं माना है क्योंकि उनके मतानुसार प्रश्नगत कर निर्धारण आदेश एकतरफा नहीं है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 07.07.2017 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी के एडवोकेट श्री दीपक गर्ग का एक्सीडेन्ट हो जाने के कारण वे कुछ दिन उपस्थित नहीं हो पायेंगे, अतः प्रकरण में 15 दिवस आगे

निरन्तर.....2

की पेशी देने हेतु निवेदन किया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने मात्र 5 दिन पश्चात अर्थात दिनांक 12.07.2017 को अपीलार्थी का पूर्ण पक्ष सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया है जो कि एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। इन समस्त तथ्यों के प्रकाश में उन्होंने उपायुक्त प्रशासन के प्रश्नगत आदेश को अविधिसम्मत एवं त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः निर्णयार्थ कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करने का निवेदन किया।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व उपायुक्त प्रशासन के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

4. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत कर निर्धारण आदेश अपीलीय अधिकारी, उदयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2015 की पालना में पारित किया है जिसमें यह निर्देश दिये गये थे कि CSD द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की जांच कर सत्यापन उपरान्त स्वीकार योग्य पाये जाने पर इन्हें स्वीकार करते हुए यथाविधि आदेश जारी करे। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 24.01.2017 में भी कर निर्धारण अधिकारी को निवेदन किया गया था कि CSD को की गई बिक्री राशि का सत्यापन करवाया जाये। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सत्यापन या जांच की गई हो ऐसा कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.07.2017 को 15 दिवस हेतु पेशी आगे देने का निवेदन किया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता के साथ तथाकथित दूरभाष वार्ता के क्रम में तीन दिवस का ही स्थगन स्वीकार किया गया।

5. समग्र तथ्यों के अवलोकन से प्रकट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय आदेश दिनांक 23.03.2015 की यथोचित पालना नहीं की है तथा न ही अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया है। उपायुक्त प्रशासन ने प्रकरण का तकनीकी तौर पर अवलोकन करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को संधारणीय नहीं पाया है, जो कि तथ्यों एवं विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में उचित नहीं पाया जाता है। अतः उपायुक्त प्रशासन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण रि–ओपन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे अपीलीय आदेश दिनांक 23.03.2015 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए अपीलार्थी का भी पक्ष सुनते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करे। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 05.12.2018 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

6. परिणामतः उपायुक्त प्रशासन का आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारणार्थ प्रेषित किया जाता है।

7. निर्णय सुनाया गया।

02-11-2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य